"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 174] रायपुर, बुधवार, दिनांक 11 जुलाई 2012—आषाढ़ 20, शक 1934

गृह विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 15-13/दो-गृह/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ लोक अभियोजन (राजपत्रित) सेवा भरती तथा पदोन्नति नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची-तीन के स्थान पर, निम्नलिखित अनुसूची तथा टीप प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"अनूसूची तीन
(नियम 8 देखिये)

सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अर्हता

विभाग का नाम (1)	सेवा तथा पदों का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	शैक्षणिक अर्हता (5)
गृह विभाग	छत्तीसगढ़ लोक अभियोजन (राजपत्रित सेवा) सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी.	21 वर्ष	30 वर्ष	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक उपाधि.

टीप :— छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी/अभ्यर्थियों के लिए, उच्चतर आयु सीमा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गए निर्देश के अनुसार शिथिलनीय होगी."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 11 जुलाई 2012

क्रमांक एफ 15-13/दो-गृह/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 11-07-2012 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. पी. शोरी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 11th July 2012

NOTIFICATION

No. 15-13/Two-Home/12.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Consitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Public Prosecution (Gazetted) Service Recruitment & Promotion Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules.—

For Schedule-III, the following Schedule and Note shall be substituted, namely :—

"SCHEDULE-III
(See Rule 8)

Qualification for Appointment By Direct Recruitment

Name of Department (1)	Name of Service and Posts (2)	Minimum Age Limit (3)	Maximum Age Limit (4)	Educational Qualification (5)
Home Department	Chhattisgarh Public Prosecution (Gazetted Service) Assistant District Public Prosecution Officer.	21 years	30 years	Bachelor of Law from Any Recognised University.

Note :—The upper age limit shall be relaxed, for the candidates who are bonafide local resident of Chhattisgarh State, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
S. P. SHORI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.